<u>एकल खिड़की प्रणाली- प्रतिनियुक्ति मामलों की संवीक्षा/ संसाधन के लिए प्रक्रिया</u>

क्रम सं.	एकल खिड़की प्रणाली के तहत उसी समय की गई जाने वाली संवीक्षा के दौरान जांच किए जाने वाले बिंदु (एस.डब्ल्यू.एस.)
1.	**भर्ती नियम (भ.नि.)**
(क)	क्या अधिसूचित भर्ती नियमों की एक सम्पूर्ण तथा पठनीय गजट/ सत्यापित प्रति संलग्न है ?
(ख)	क्या भ.नि. को अनुमोदित करने संबंधी सं.लो.से.आ. की संदर्भ सं. दी गई है ।
(ग)	क्या भर्ती नियमों में प्रतिनियुक्ति/ आमेलन की व्यवस्था है ।
(घ)	जहां भर्ती नियमों में चयन प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग का सहयोग/ परामर्श अपेक्षित है ।
(ड.)	क्या प्रमुख शर्त के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति या उसके असफल रहने पर किस शर्त की व्यवस्था की गई है ।
2.	**रोज़गार समाचार में प्रकाशित रिक्ति परिपत्र/ विज्ञापन**
(क)	क्या रिक्ति परिपत्र की प्रति संलग्न है
(ख)	क्या रिक्ति को रोज़गार समाचार में प्रकाशित किया गया है ।
(ग)	क्या रोज़गार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति संलग्न की गई है ?
(घ)	यदि हां तो क्या रोज़गार समाचार में प्रकाशित तारीख का उल्लेख किया गया है ।
(ड.)	क्या आवेदकों को आवेदन पत्र जमा करने के लिए दिया गया समय कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3.10.1989 के का.ज्ञा.सं.ए.बी.14017/71/89-स्था.(भ.नि.) में निर्धारित किए गए अनुसार है ।
(च)	क्या यह सत्यापित कर दिया गया है कि यदि आवेदकों को नामांकन करने के लिए कम समय दिया गया है (6 सप्ताह से कम नहीं) तो संयुक्त सचिव का इस संबंध में अनुमोदन ले लिया गया है ।
(छ)	क्या रिक्तियों के अस्तित्व में आने की तारीख और तरीके के बारे में सूचित कर दिया गया
3.	**वरिष्ठता सूची (व.सू.)**
(क)	क्या फीडर ग्रेड में वरिष्ठता सूची (व.सू.), का. तथा प्र.वि. के दिनांक 10.4.1989 के का.ज्ञा.सं. 22011/5//86-स्था.(घ) के अनुबंध-I के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में (यदि संयुक्त पद्धति के लिए संगत है) प्राप्त हुई है ।
(ख)	क्या कम से कम अवर सचिव के स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं
(ख)	क्या पात्रता/ अपात्रता को दर्शाया गया है
(ग)	क्या पद से संबंधित कार्यों तथा दायित्वों की प्रति संलग्न की गई है ।
5	**वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट**
(क)	क्या उन अधिकारियों के नाम को दर्शाने वाली सूची संलग्न की गई है जिनकी चरित्र पंजिका संलग्न की गई है ।
(ख)	क्या पिछले पांच के लिए सभी पात्र आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियर पूर्ण हैं (उसी समय जांच की जाए यदि उम्मीदवारों की संख्या 5 से कम है)
(ग)	क्या आयोग को भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट डोजियरों की फोटो प्रतियां भारत सरकार के अवर सचिव या समकक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा सत्यापित (प्रत्येक पृष्ठ) की गई हैं (यदि उम्मीदवारों की संख्या 5 से कम हो तो उसी समय जांच करें)
6.	**संयुक्त संवर्ग निर्बाधन/ सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र/ सतर्कता निर्बाधन/ शास्ति विवरण**
(क)	क्या प्रस्ताव के साथ संयुक्त विवरण (अनुबंध-II) संलग्न है ;
(ख)	क्या सभी पात्र अधिकारियों के संबंध में संवर्ग निर्बाधन विवरण प्रस्तुत किया गया है ;

(ग)	क्या विवरण में सभी पात्र अधिकारियों की सत्यनिष्ठा को सत्यापित किया गया है
(घ)	क्या विवरण में उन अधिकारियों के नामों का भी उल्लेख किया गया है जिनकी सत्यनिष्ठा को प्रमाणित नहीं किया गया है या जिनका सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र रोक लिया गया है ।
(ड.)	क्या विवरण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सभी पात्र उम्मीदवार सतर्कता की दृष्टि से निर्बाधित हैं । उन अधिकारियों के नाम, यदि कोई हों, का उल्लेख करें जो सतर्कता की दृष्टि से निर्बाधित नहीं है ।
(च)	क्या विवरण में पिछले 10 वर्षों के दौरान सभी पात्र अधिकारियों के बारे में लगाई गई छोटी/ बड़ी शास्तियों को दर्शाया गया है ।